

12 $\frac{1}{18}$

पत्रावली पेश हुई। जहाँ का उपाहित होकर
प्राथमिक प्रवृत्त कर निवेदन किया है कि इस
पक्षकारों के मदद आपसी समझौता हो गया
है प्रकरण में आने कोई कार्रवाई नहीं
-पाएगा है। कार्रवाई बन्द कराई जाये। प्रकी
-ठाया प्रकरण में आने कोई कार्रवाई नहीं
-पाएने से प्रकरण इसी स्टेज पर
खारीज किया जाता है। पत्रावली फौजदारी
मुद्दा ही कर गम्बर से रूकती/निर्वाह
कुले न्यायालय में हुआ गया।



सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) कुम्भलगढ
जिला-राजसमन्द